फा.सं. : आरसीडी-11001/1/2023-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआई-भाग (1) [ई -9694] भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, के 2006तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण विनियामक अनुपालन प्रभाग एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली 1FoSCoS - https://foscos.fssai.gov.in]

दिनांकः 07 जुलाई, 2025

आदेश

विषय: एफ.बी.ओ. द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों की संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जाँच के संबंध में :-

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 से वार्षिक प्रतिवेदन केवल ऑनलाइन फोस्कोस (Foscos) पोर्टल पर दाखिल करना अनिवार्य किया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदन दाखिल करने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे कि अनिवार्य उत्पादन विवरण तथा वर्तमान में गैर-अनिवार्य अनुपालन संबंधी डेटा। प्रस्तुत जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पात्र खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच करें। साथ ही, जाँच के दौरान यदि कोई विसंगति, असंगति या असत्य घोषणा पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों तथा लागू विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2. इसके अतिरिक्त, एफ.एस.एस.ए.आई के दिनांक 08 जनवरी, 2024 के आदेश (संलग्न प्रति) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से फोस्कोस पोर्टल में एफबीओ के लिए पहले से प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों में सुधार/अद्यतन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि अनजाने में हुई त्रुटियों को ठीक किया जा सके। सभी पात्र एफबीओ को स्मरण कराया जाता है कि वार्षिक प्रतिवेदन में सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। जहाँ भी किसी प्रकार का सुधार या अद्यतन आवश्यक हो, संबंधित एफबीओ को सलाह दी जाती है कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा और शुल्क संरचना के अनुसार यथाशीघ्र संशोधन/अद्यतन की सुविधा का लाभ लें। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि असत्य या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः समय रहते त्रुटियों का सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, तािक दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

(डॉ. सत्येन कुमार पंडा) कार्यकारी निदेशक (अनुपालन नीति)

[मूल हस्ताक्षरित आदेश अंग्रेज़ी में जारी किया गया है। यह हिंदी अनुवाद केवल संदर्भ हेतु है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।]

सेवा में:

- 1. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
- 2. निदेशक, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.एस.एस.ए.आई
- 3. खाद्य व्यवसाय संचालक और खाद्य सुरक्षा मित्र (एफएसएम)

प्रतिलिपि:

- 1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीआईटीओ) एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने का अनुरोध करते हुए
- 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एफ.एस.एस.ए.आई के निजी सहायक (पीए)

F. No. 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt1-Part(4) (Comp. No. 7909)
Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(Regulatory Compliance Division)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

Dated, the gliv January, 2024

ORDER

Subject: Introducing the Provision in FoSCoS to file Updated/Revised Annual Return - reg.

Clause 2.1.13 of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 specifies the condition for submission of annual returns by Manufacturers and Importers by 31st May of every year for the food business activities being handled by them during the previous financial year. FSSAI vide order dated 18th December 2020, has made it mandatory to file the Annual Return for FY 2020-21 onwards through online mode in FoSCoS only. Further, FSSAI vide order dated 10.11.2022, has capped maximum amount of penalty levied due to late filing [Rs. 100 per day] to 5 times the annual license fees.

- 2. Presently, FBOs [Manufacturers and Importers] are allowed to revise/update the already filed annual returns only till the last date of submission i.e. by 31st May. In this connection, with the approval of Food Authority, the provision to update/revise Annual Return in FoSCoS after 31st May has been enabled to rectify inadvertent mistakes subject to the following conditions and fees:
 - i. Compliant FBOs who have filed Annual Return by 31st May of following year: Revision of annual return is allowed maximum of two times and the last submitted annual return will be considered as final. The revised filing fee applicable is as follows:
 - a. Revising within Three months i.e. by 31st August of following year: One-year license fee + GST
 - Revising beyond Three months i.e. 01st September to 31st March of following year - Two-year license fee + GST
 - ii. FBOs who have filed Annual Return beyond 31st May of following year with late fee: Only one time revised/updated filing of annual return is allowed till 31st March of the following year, with revised filing fee equal to Two year license fee + GST
 - iii. Revised filing of Annual return is not allowed for the original annual returns filed beyond 31st March of the following year. For ex. if an FBO files delayed annual return [first time] for FY2022-23 on 01st April, 2024 [for which due date was 31st May, 2023], in such cases, FBOs are not allowed to file revised return.
- 4. The provision for filing of updated/revised return will come into effect from 06.01.2024 for Annual Returns of FY 2022-23 for which last date of submission of original return was 31st May 2023 [and extended till 30th June 2023 vide order dated 09.06.2023].

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Inoshi Sharma)
Executive Director (CS)
Email: ed-office@fssai.gov.in

To:

- 1. All Food Business Operators, Associations, Food Safety Mitra, and other stakeholders.
- 2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
- 3. Directors of all Regional Offices, FSSAI
- 4. CTO, FSSAI with a request for uploading on the FSSAI website

Copy for information to:

- 1. PPS to Chairperson, FSSAI
- 2. PS to CEO, FSSAI.
- 3. All Divisional Heads, FSSAI.